

कार्य दिनांक: 17/09

दिनांक: 23/03/18

क्रमांक: 5/13

दिनांक: 23/03/18

प्राधिकृत संख्या-873/2017-18

राज्यपालक प्रमुख अभियन्ता

(आय-व्ययक अनुभाग)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-1369/आई0वी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा

लखनऊ विभाग मार्च, 2018

कार्यालय आप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-32/2018/293/18-27-गि0-9-57/अएपी/09, दिनांक 20-03-2018 द्वारा "अर्जुन सहायक पुनरीक्षित परियोजना" हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रावधानित धनराशि रु0 10000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष रु0 6000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) झॉंसी को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:- (आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रविष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 21-अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1013-सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड) 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(परियोजना बेतवा) झॉंसी।	6000.00

(रुपया साठ करोड़ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 23 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-1369/(1)/आई0वी0/तददिनांक:- 21/03/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (दक्षिण) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, झॉंसी को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, झॉंसी को शासनादेश की प्रति इस कथन के साथ प्रेषित है कि नाबार्ड की स्वीकृति तथा भारत सरकार से केन्द्रांश अवमुक्त होने की स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशारी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(अजय कुमार त्रिवेदी)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

उक्त प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।